

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक,
अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,
सिविल सर्जन,
राँची/गढ़वा।

राँची, दिनांक- 14-08-2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजनान्तर्गत राँची एवं गढ़वा जिला के अधीन क्रियान्वित विभिन्न प्रकार के जीर्णोद्धार/सुदृढीकरण की योजनाओं हेतु कुल 73,31,421/- (तिहत्तर लाख एकतीस हजार चार सौ एककीस) रुपए मात्र का आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजनान्तर्गत राँची एवं गढ़वा जिला के अधीन क्रियान्वित विभिन्न प्रकार के जीर्णोद्धार/सुदृढीकरण की योजनाओं हेतु निर्गत स्वीकृत्यादेशों के आलोक में निम्नतालिका के अनुसार कुल 73,31,421/- (तिहत्तर लाख एकतीस हजार चार सौ एककीस) रुपए मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

क्र.	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि	प्रशासनिक स्वीकृति / एकरारनामा की राशि	अबतक आवंटित राशि	वर्त्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि	निकासी एवं व्ययन पत्रिकाकारी
1	Consturction of Boundary Wall, of the Sadar Hospital Campus under Garhwa district.	162(5) ब० यो० 07.11.2023	<u>19,39,400</u> 19,39,400	15,51,520	3,87,880	19,39,400	सिविल सर्जन, गढ़वा
2	Consturction of Paver Block of the Sadar Hospital Campus under Garhwa district.		<u>13,19,800</u> 13,19,800	10,55,840	2,63,960	13,19,800	
3	E/R to paver Block and parking Tiles of Sadar Hospital, Garhwa under Garhwa district.		<u>9,89,000</u> 9,89,000	7,91,200	1,97,800	9,89,000	
4	E/R to Store Room of Sadar Hospital, Garhwa under Garhwa district.		<u>5,91,900</u> 5,91,900	4,73,520	1,18,380	5,91,900	
Total (A)					9,68,020		

(आनन्द कुमार सिन्हा)
अवर सचिव

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

क्र.	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि	प्रशासनिक स्वीकृति / एकरारनामा की राशि	अबतक आवंटित राशि	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
5	Construction of Boundary wall & Toilet with sanitary work, Electrical work and Deep Boring at Ayushman Kendra Manatu, Ranchi for the Year 2025-26.	63(5) यो० 13.02.2026	<u>28,69,400</u> 28,21,401	20,00,000	8,21,401	28,21,401	सिविल सर्जन, राँची
6	Renovation of Main Building & Construction of Boundary wall & Toilet with sanitary work, Electrical work and Deep Boring at Ayushman Kendra Oyna, Ranchi for the Year 2025-26.		<u>34,07,100</u> 33,95,191	25,00,000	8,95,191	33,95,191	
7	Renovation of Main Building & Construction of Boundary wall & Toilet with sanitary work, Electrical work and Deep Boring at Ayushman Kendra Dubaliya, Ranchi for the Year 2025-26.		<u>35,06,300</u> 34,95,026	25,00,000	9,95,026	34,95,026	
8	Renovation of Main Building & Construction of Boundary wall & Toilet with sanitary work, Electrical work and Deep Boring at Ayushman Kendra Bagda, Ranchi for the Year 2025-26.		<u>31,97,900</u> 31,91,335	25,00,000	6,91,335	31,91,335	

(आनन्द कुमार सिन्हा)
अवर सचिव

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव
28(5) व.
14.08.2026

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

क्र.	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि	प्रशासनिक स्वीकृति / एकरारनामा की राशि	अबतक आवंटित राशि	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
9	Renovation of Main Building & Construction of Boundary wall & Toilet with sanitary work, Electrical work and Deep Boring at Ayushman Kendra Kamre, Ranchi for the Year 2025-26.	63(5) यो० 13.02.2026	<u>31,18,600</u> 31,08,095	25,00,000	6,08,095	31,08,095	सिविल सर्जन, राँची
10	Renovation of Building & Electricity, Septic tank of C.H.C. Sonahatu, Bundu, Ranchi for the year 2025-26.	81(5) यो० 29.03.2026	<u>23,52,900</u> 23,52,353	0	23,52,353	23,52,353	
Total (B)					63,63,401		
Total (A+B)					73,31,421		

2. उपर्युक्त स्वीकृत्यादेशों की सभी शर्तें यथावत् रहेंगी। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं योजना के कार्यकारी एजेंसी द्वारा स्वीकृत्यादेशों में अंकित सभी निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3. व्यय का विकलन बजट शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-110-अस्पताल तथा औषधालय-48-जिला स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधारभूत संरचना का विस्तार, उत्क्रमण-01-जिला स्तर पर विभिन्न अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों/स्वास्थ्य संस्थानों का भवन निर्माण, मशीन उपकरण एवं उपस्कर सहित-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य (विपत्र कोड-20एस-4210-01-110-48-01-05-45) के अधीन उपबंधित राशि से होगा।

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सिविल सर्जन, राँची/गढ़वा होंगे, जो डिपोजिट कार्य हेतु विपत्र के माध्यम से संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल संख्या-1, राँची/ कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, गढ़वा/कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०-1, राँची को पुस्तांतरण द्वारा रिमिटान्स शीर्ष-8782, स्थानीय निधि जमा-102 में चालान के माध्यम से राशि जमा करेंगे।

5. इसके नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

6. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक-2561 वि०, दिनांक-17.04.98 एवं 1800 (वि०) दिनांक-15.07.2003 के आलोक में राँची कोषागार, राँची/गढ़वा कोषागार, गढ़वा से की जाएगी।

(आनन्द कुमार सिन्हा)
अवर सचिव

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव
28(5)व.
14.08.2026

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

7. राशि निकासी के पूर्व विपत्र/चेक पर आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख किया जाएगा एवं यह प्रमाणित किया जाएगा कि प्रस्तुत विपत्र/चेक प्रशासनिक स्वीकृत राशि एवं आवंटित राशि के अन्तर्गत है। संबंधित कार्यकारी एजेन्सी के मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता योजना की वित्तीय/भौतिक समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।

8. जिस शीर्ष के अन्तर्गत राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अन्तर्गत व्यय भारित करेंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि व्यय किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अन्तर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार, झारखण्ड, राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

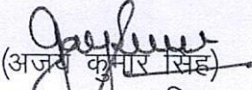
10. झारखण्ड वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में निहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन संबंधित कार्यकारी एजेन्सी के अभियन्ताओं का दायित्व होगा।

11. योजना में स्वीकृत राशि अथवा लागत राशि (एकरारित राशि) में से जो कम हो उसके अनुरूप ही राशि का व्यय किया गया है, यह योजना के संबंधित कार्यकारी एजेन्सी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

12. योजना में किसी भी प्रकार के त्रुटिपूर्ण भुगतान के लिए योजना के कार्यकारी एजेन्सी के संबंधित अभियन्ता पूर्णरूपेण जिम्मेवार होंगे। साथ में, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि योजना का कार्यान्वयन झारखण्ड पी०डब्ल्यू०डी० कोड के सुसंगत नियमों एवं सरकार द्वारा निर्गत आदेशों/परिपत्रों के अनुरूप किया गया हो।

13. आवंटित राशि से संबंधित व्यय विवरणी प्रत्येक महीने के 10वीं तारीख तक विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

विश्वासभाजन,

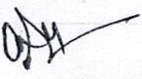

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक:- 28(5)व.

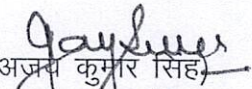
राँची, दिनांक:- 14.08.2026

प्रतिलिपि:

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची।
2. उपायुक्त, राँची/गढ़वा।
3. कार्यपालक अभियन्ता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल सं०-01, राँची।
4. कार्यपालक अभियन्ता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, गढ़वा।
5. कार्यपालक अभियन्ता, एन०आर०ई०पी०-1, राँची।
6. कोषागार पदाधिकारी, राँची कोषागार, राँची।
7. माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(आनन्द कुमार सिन्हा)
अवर सचिव


(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव
28(5)व.


(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Health, Medical Education and Family Welfare Department

चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 5-P-12/2024/28(5)B

दिनांक - 14-Aug-2026

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 20 42100111048010545 4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं 110 - अस्पताल तथा औपचारिक 48 - जिला स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधारभूत संरचना का विस्तार, उत्क्रमण 01-जिला स्तर पर विभिन्न अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों/संस्थानों का भवन निर्माण, मशीन उपकरण एवं उपस्कर सहित 05 - निर्माण State Scheme	55582	RNCMED013 AMRENDRA PRASAD C.S.CUM C.M.O.RANCHI 45 - निर्माण कार्य	6,363,401.00 रुपये तीरसठ लाख तीरसठ हजार चार सौ एक
	State Scheme : Central Scheme :	STATE HEALTH INFRASTRUCTURE STRENGTHENING & UPGADATION UPTO DISTRICT NAVEL(1691)		
2	S 20 42100111048010545 4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं 110 - अस्पताल तथा औपचारिक 48 - जिला स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधारभूत संरचना का विस्तार, उत्क्रमण 01-जिला स्तर पर विभिन्न अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों/संस्थानों का भवन निर्माण, मशीन उपकरण एवं उपस्कर सहित 05 - निर्माण State Scheme	55584	GRHMED001 DR. JOHN FITZGERALD KENNEDY C.S.CUM C.M.O.GARHWA 45 - निर्माण कार्य	968,020.00 रुपये नौ लाख अडसठ हजार बीस
	State Scheme : Central Scheme :	STATE HEALTH INFRASTRUCTURE STRENGTHENING & UPGADATION UPTO DISTRICT NAVEL(1691)		

योग:

रुपये तीहत्तर लाख इक्कीस हजार चार सौ इक्कीस

7,331,421.00

क्रमिक योग:

(AJAY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

वित्तीय वर्ष 2026-27 में आवंटित राशि की विवरणी :-

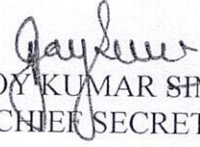
माँग सं० - 20 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

मुख्य शीर्ष-4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय & 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं & 110 - अस्पताल तथा औषधालय & 48 - जिला स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधारभूत संरचना का विस्तार, उत्क्रमण

SI No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	20S42100111048010545	Total
					निर्माण कार्य	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ranchi	RNCMED013	Amrendra Prasad	C.S.Cum C.M.O.Ranchi	₹63,63,401.00 (55582)	₹63,63,401.00
2	Garhwa	GRHMED001	Dr. John Fitzgerald Kennedy	C.S.Cum C.M.O.Garhwa	₹9,68,020.00 (55584)	₹9,68,020.00

कुल आवंटित राशि :- ₹73,31,421.00 (तीसहत्तर लाख इकतीस हजार चार सौ इक्कीस) रुपये मात्र |

टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए


(AJAY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY